



# स्कूल शिक्षा परिवार

गैर सहायता एवं गैर रियायत प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं का संघ जयपुर (राज.)

न सहायता न रियायत – फिर क्यों नहीं हम स्वायत्त?

Reg. No. 395/14

**Ref. No.**

हेमलता शर्मा  
अरटिल  
9887057039  
अनिल शर्मा  
महा सचिव  
9983333844  
शैलेशनाथ सिंह (एडकेट)  
उपायकार  
8239899999  
राधेश्वाम मेहता  
उपायकार  
9351411444  
डॉ. दिलीप मोदी  
उपायकार, शैलेशनाथी अंचल  
9829227970  
पट्टी सिंह  
उपायकार, उदयपुर संभाग  
7073950037  
विपिन पोपली  
उपायकार, बीकानेर संभाग  
9414137464  
अर्जुन देवलिया  
उपायकार, अमरूर संभाग  
9214362050  
सत्य प्रकाश शर्मा  
उपायकार, कोटा संभाग  
9828176025  
जयशंकर ठिवेडी  
उपायकार, जोधपुर संभाग  
9414325215  
राजीव शर्मा  
उपायकार, अबुसयान प्रकोष्ठ  
9413256103  
शाद जोशी  
उपायकार, लौल सेल  
9952323262  
श्रवण बोहरा  
कोषारायत  
9829538587  
रामस्वरूप शर्मा  
संयुक्त सचिव  
9829628481  
गोपाल यादव  
संयुक्त सचिव  
9828499995  
अनिवाज नाग  
संयुक्त सचिव, उदयपुर  
8107166668  
अरण मार्तीर्या  
संयुक्त सचिव, निंबाहेड़ा चित्तोड  
7891282827  
महेश शर्मा  
संयुक्त सचिव  
9252827447  
अशोक महला  
संयुक्त सचिव  
7894043335  
नरेन्द्र मार्टी  
संयुक्त सचिव  
9460137848  
दिलीप  
सचिव  
9829301101  
महेश शर्मा  
सचिव  
9252827447  
हेमराज  
सचिव  
9950061444

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय,

दिनांक – 15.1.15

राजस्थान सरकार

विषय – आपसे दिनांक 5.1.15 को हुई वार्ता मे बनी सहमति के आधार पर फीस एकट की विसंगतियों के निराकरण हेतु धारा 15 के तहत संशोधन हेतु तर्क संगत ज्ञापन

प्रसंग – उपरोक्त ज्ञापन मे देश भर के विभिन्न राज्यों एवं सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का समावेश किया गया है ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग मे निवेदन निम्न प्रकार है –

1. राजस्थान भर मे संचालित गैर सहायता एवं गैर रियायत प्राप्त संस्थाओं के लिए गठित हमारी संस्था ने देश भर के सभी राज्यों मे फीस नियामक आयोगों / कानूनों एवं सर्वोन्नायालय के विभिन्न निर्णयों एवं विभिन्न शिक्षा विद्वों के लेखों एवं विभिन्न शिक्षा के क्षेत्रों मे कार्यरत संस्थाओं के सर्वे के आधार पर एक संतुलित रास्ता निकालने के प्रयास के तहत एक व्यवहारिक ज्ञापन तैयार किया है ।
2. उक्त ज्ञापन को तैयार करने के पश्चात राज्य भर के लगभग 29 जिलों मे जा कर वहाँ की संस्थाओं से चर्चा कर इसके स्वीकार्य होने की पुष्टि के पश्चात हम आपको यह ज्ञापन दे रहे हैं ।
3. उपरोक्त ज्ञापन मे दिये गये तथ्यों हेतु आप हमारी संस्था को कभी भी विस्तृत वार्ता हेतु बुला सकते हैं ।
4. हम चाहते हैं कि फीस एकट की विसंगतियों को शीघ्र दूर किया जाना आवश्यक है क्योंकि अभिभावकों के बीच इसका प्रभाव गलत जा रहा है जो देश हित मे नहीं है ।
5. हम उन संस्थाओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने किसी प्रकार की सहायता एवं रियायत कभी नहीं ली है ।
6. आशा है आप हमसे हुई सहमति के अनुसार अभिभावकों / शिक्षा अधिकारियों / हमारे प्रतिनिधियों / विधि विशेषज्ञों की एक कमेटी बना कर इस दिशा मे कदम उठायेंगे ।

(हेमलता शर्मा)

(अनिल शर्मा )

अध्यक्ष 9887057039

महासचिव 9413623033